(वाद सं0.-893/4/16/2021)

03.08.2022

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, लाल बानु, के पति, सरफुल आलम, की टेम्पू दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार द्वारा मुआवजा राशि के भुगतान किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **जिला पदाधिकारो, कटिहार** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **जिला पदाधिकारी, कटिहार** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित **अंचल पदाधिकारी, प्राणपुर** के प्रतिवेदनानुसार **" लाल बानु, पति स्व0 सरफुल सा0 मझौली मिल्की, थाना–प्राणपुर, जिला–कटिहार को अनुग्रह अनुदान के रूप में विपत्र सं0–57/21–22 द्वारा उनके खाता सं0–40236717114, IFSC Code- SBIN0003127 में 4,00,000.00 (चार लाख) रूपये का भुगतान किया जा चुका है। "**

अब जबकि परिवादी के शिकायत का संबंधित प्राधिकार द्वारा संतोषजनक समाधान कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में **जिला पदाधिकारी, कटिहार** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार, **जिला पदाधिकारी, कटिहार** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति अनुलग्नको सहित (पृष्ठ–17–14/प0) संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक